

न्यायालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल म.प्र.

–: सूचना :-

आज दिनांक 28/05/2020 को जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की सूची

–: दाण्डिक प्रकरण :-

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारगण	स्टेज	अधिवक्ता का नाम	रिमार्क
			निरंक		

–: सिविल प्रकरण :-

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारगण	स्टेज	अधिवक्ता का नाम	रिमार्क	
01.	RCA 37/2019	आशा विरुद्ध कृष्णराव वगैरह	अंतिम तर्क	श्री गिरीश गर्ग	श्री व्ही.के. बडोनिया एवं श्री सुधीर आर्य	
02.	RCA 44/2019	दिलीप वगैरह विरुद्ध कृष्णराव वगैरह	अंतिम तर्क	श्री सुधीर आर्य	श्री व्ही.के. बडोनिया एवं श्री गिरीश गर्ग	




आदेशानुसार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल

तृतीय अपर सत्र न्यायालय, बैतूल
दिनांक 28.05.20 को सुनवाई हेतु प्रकरणों की सूची

Sr. No.	Cases	Party Name	Name of Advocate
Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter			
1)	SC ELE/7/2019	State Vs Ramesh	ADPO
Miscellaneous matters not defined otherwise			
2)	CRA/300251/2015	M PR SHASAN Vs SANDEEP PAL	Pal Raghuraj More
3)	SC ELE/23/2020	MPSEB North Zone Betul Vs Lalitrani	ANIL KUMAR MALVIYA
4)	SC ELE/132/2020	MPEB Vs Punit	ANIL KUMAR MALVIYA
5)	CRR/16/2020	Sooraj Marskole Vs state	NARENDRA KUMAR SONI


 महेंद्र कुमार त्रिपाठी,
 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
 बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के न्याया. के द्वितीय अतिरिक्त
न्यायाधीश बैतूल(म.प्र.)

—:: दिनांक—18.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम
तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची ::—

क.	प्रकरण क.	पक्षकार का नाम	अपीलार्थी के अधिवक्ता	गैर अपीलार्थी के अधिवक्ता
1.	आर.सी.ए. 06 / 15	वीरेन्द्र वि० सुरेन्द्र वगै.	श्री सुरेन्द्र मालवीय	श्रीपंचोली, एवं श्री सतीष बोरबन
2.	आर.सी.ए. 11 / 15	सुरेन्द्र वि० वीरेन्द्र	श्री उमाशंकर पंचोली	श्री सुरेन्द्र मालवीय
3.	आर.सी.ए. 53 / 17	घिसिया वगै.वि. दिनेश वगै.	श्री पी.के. अवस्थी	श्री बी.के. धारगा
4.	सी.आर.ए. 120 / 17	अनिल वगै. वि. राज्य	श्री हनुमंत काले	अपर लोक अभियोजक
5.	सी.आर.ए. 531 / 16	मंशाराम वि. राज्य	श्री हीरामन सूर्यवंशी	अपर लोक अभियोजक
6.	सी.आर.ए. 116 / 16	शासन वि. तरुण	अपर लोक अभियोजक	श्री गुफरान खान



(ए.के. दंदेलिया)

प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के
न्याया. के द्वितीय अति.न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के
न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / 105/IV-AJ to IASJ/2020

बैतूल, दिनांक 27 मई, 2020

-:: सूचना ::-

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 जबलपुर, दिनांक 04 मई, 2020 एवं परिपत्र क्रमांक/क्यू/13 जबलपुर, दिनांक 17 मई, 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक/64 /दो-12-11/2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्रमांक/73/दो-12-11/2014 बैतूल, दिनांक 18.05.2020 के अनुपालन में **दिनांक 28-05-2020** को व्ही.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	सिविल / आपराधिक
01.	CRA No. 87/2018	जयप्रकाश उर्फ सूर्या वि. म.प्र.राज्य	दाण्डिक अपील
02.	CRA No. 13/2019	तुलसीराम वि. म.प्र.राज्य	दाण्डिक अपील

८९

(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 105/IV-AJ to IASJ/20
प्रतिलिपि,

बैतूल, दिनांक 27 मई, 2020

1. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकारगण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चशपार्थ।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

८९

(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

28-05-202

न्यायालय-अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला बैतूल

क्रमांक- सीजेएम/20 बैतूल

दिनांक-27.05.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
बैतूल

विषय:- दिनांक-28.05.2020 को नियत की सी के माध्यम से सुनवाई योग्य प्रकरणों की
जानकारी प्रेषित किए जाने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय विधि आदेश क्रमांक-64/दो-12-11/2014 बैतूल दि-04.05.20।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि इस न्यायालय में लंबित दिनांक-28.05.2020 को
नियत दांडिक, विधि कार्यवाही एवं सिविल प्रकरणों में से की सी के माध्यम से सुनवाई योग्य निम्न
प्रकरण है-

क्र	प्रकरण क्र/ अपराध क्र	थाना	पक्षकार	धारा	अधिवक्ता	रिमांक
1	468/20	बैतूल	इमरान	437 दप्रस	श्री राजेश डोगरे	केस डायरी प्रतिक्षार्थ

2 468/20 केस ल/मन 437 दप्रस
3 467/20 केस

श्री राजेश डोगरे
20/5/20

न्यायालय:-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र...../प्रअजिन्या/2020

मुलताई, दिनांक 27.05.2020

--: परिपत्र ::--

विषय:- लॉकडाऊन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. क्यू/11/जबलपुर दिनांक 02.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क. 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक दी जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. क्यू/12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क. 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुमुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 28.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल प्रकरण दिनांक 28.05.2020 को प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

No.	Case No.	CIS No.	Parties Name	Advocate Name	Contact No.	Remark
1.	35/17	35/17	देवेन्द्रनाथ विरूद्ध सरदार रामसिंह वगै.	1.सुश्री अल्पना भार्गव अधिवक्ता 2.श्री एल0 के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता	8839550785 9425440740	

उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई.डी. multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 28.05.2020 को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण उसी दिनांक 28.05.2020 को सुनवाई में लिए जावेंगे।

(हरप्रसाद बंशकार)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
मलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बेतूल (म.प्र.)

क्रमांक / द्वि.अ.जि.न्या. / 2020


मुलताई दिनांक 27 / 05 / 2020

सामान्य सूचना

विषय :- आज दिनांक 27.05.2020 को नियत आपराधिक प्रकरण के संबध में।

उपरोक्त विषयातर्गत समस्त अधिवक्तागण/पक्षकारगण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 27.05.2020 को नियत समस्त आपराधिक प्रकरण निम्नांकित नियत दिनांक को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्र	प्रकरण क्र.	सीआई.एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	नियत दिनांक	रिमांक
1.	ST 221/19	124 / 19	राज्य वि. राजा उर्फ मोदू	1. श्री अभयसिंह ठाकुर 2. श्री आर.के. मायवाड	15.06.2020	
2.	CRA 75/19	25/19	श्रीराम वगे वि. नदू वगे.	1. श्री गजानंद सूर्यवंशी 2. श्री अशोकसिंह परिहार	25.06.2020	


(सुशील कुमार जोशी)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

मुलताई, बेतूल (म.प्र.)

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुलताई, जिला बैतुल म0प्र0

क्रमांक/प्र.व्य.न्या./2020

मुलताई, दिनांक 27.05.2020

परिपत्र

विषय:- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 अनुसार परिपत्र क्रमांक क्यू 5 दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्र. क्यू 6 दिनांक 14.04.2020, परिपत्र क्र. क्यू 7 दिनांक 20.04.2020, परिपत्र क्र. क्यू 11 दिनांक 02.05.2020 को दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावशील किया गया है।

माननीय न.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क, निर्णय हेतु नियत प्रकरणों में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक 27.05.2020 को नियत निम्नांकित आपराधिक प्रकरण रिकाल (Recall) किये जाकर दिनांक 27.05.2020 को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।


क्र. प्रक. क्र.	सी. आई.रस. नंबर	प्रकरण का नाम	अधिवक्ता का नाम	का मोबाइल नंबर	रिमांक
-----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	--------

1.

निरंक

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पत्राचारमण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्मानीय अधिवक्तामण से अनुरोध है कि वे अपने अपने प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फेरिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फेरिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हों तो वे न्यायालय परिसर में स्थिति विडियो कॉन्फेरिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्मानीय अधिवक्तामण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

आज दिनांक 27.05.2020 को नियत आपराधिक प्रकरण दिनांक 25.06.2020 को उसी प्रकृत पर सुनवाई में लिये जावेंगे।


27/05/2020
(कमला गौतम)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2 मुलताई, जिला वैतूल

न्यायालय:- श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई जिला बैतूल
(म.प्र.)

क्रमांक...../2020

मुलताई, दिनांक 23/05/20

प्रति,

श्रीमान सचिव महोदय,
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

संदर्भ:- माननीय महोदय की पत्र क्र.816/जिविरोप्रा/यू.टी.पी./2020 बैतूल, दिनांक 06
05.2020।

विषय:- अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की आगामी बैठक हेतु एस.ओ.पी. अनुसार निर्धारित
प्रारूप में जानकारी प्रेषित किये जाने यावत्।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निर्धारित प्रारूप में जानकारी
माननीय की ओर सादर प्रेषित है।

1. क्या आपके न्यायालय में कोई ऐसा आरोपी जिसके पक्ष में जमानत का आदेश किये जा
चुका है किंतु वह जमानत प्रस्तुत ना कर पाने के कारण न्यायिक अभिरक्षा में है।

क्र. प्रकरण क्रमांक	आरोपी का नाम	धारा	अभिरक्षा की अवधि	अभिरक्षा का कारण (स्पष्ट उल्लेख करें)
1				

---निरंक---

2. क्या आपके न्यायालय में ऐसा कोई प्रकरण है जो राजीनामा योग्य है और प्रकरण का
आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।

क्र. प्रकरण क्रमांक	आरोपी का नाम	धारा	अभिरक्षा की अवधि	अभिरक्षा का कारण (स्पष्ट उल्लेख करें)
1				

---निरंक---

3. क्या आपके न्यायालय में ऐसा कोई प्रकरण है जिसका आरोपी जमानतीय अपराधों के
संबंध न्यायिक अभिरक्षा में है।

क.	प्रकरण क्रमांक	आरोपी का नाम	धारा	अभिरक्षा की अवधि	अभिरक्षा का कारण (स्पष्ट उल्लेख करें)
1	---निरंक---				

4. क्या आपके न्यायालय में ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें साक्ष्य देने के लिये नियत प्रथम दिनांक से 60 दिन के अंदर विचारण पूर्ण नहीं हुआ है।


क.	प्रकरण क्रमांक	आरोपी का नाम	धारा	अभिरक्षा की अवधि	अभिरक्षा का कारण (स्पष्ट उल्लेख करें)
1	---निरंक---				

5. विचाराधीन ऐसे बंदी जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचाराधीन आपराधिक प्रकरण में निरूद्ध है और साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिवस के भीतर विचारण पूर्ण नहीं होता है और ऐसा बंदी उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा, इस कारण धारा 437 (6) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

क.	प्रकरण क्रमांक	आरोपी का नाम	धारा	अभिरक्षा की अवधि	अभिरक्षा का कारण (स्पष्ट उल्लेख करें)
1	---निरंक---				

6. महिला विचाराधीन बंदी के संबंध में जानकारी

क.	प्रकरण क्रमांक	आरोपी का नाम	धारा	अभिरक्षा की अवधि	अभिरक्षा का कारण (स्पष्ट उल्लेख करें)
1	---निरंक---				


 (श्रीमती कमला गौतम)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 मुलताई जिला बैतूल